XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 268–एक/13

जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
15.4.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 8/11–12/निग0 में पारितआदेश दिनांक 14–1–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गढ़ा स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक एवं अनावेदक क. 2 लगायत 7 का नामांतरण प्रमाणित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में उद्धरित किए हैं । 4– अनावेदक क. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5– शेष अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण के संबंध में है । ग्राम पंचायत ने नामांतरण प्रमाणित किया इसके विरूद्ध अपील में आदेश पारित किया गया ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	अपील में पारित आदेश के विरूद्ध जिलाध्यक्ष के यहां निगरानी की गई और उसमें यह कहा गया कि प्रार्थीगण के पक्ष में जो अभिलेख में प्रविष्टि है उसे किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है और अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में नहीं है और विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इस स्थिति को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है अतः निगरानी स्वीकार करने की मांग की गई । अनावेदक शैलेन्द्र की ओर से जिलाध्यक्ष के समक्ष यह कहा गया कि यदि विवादग्रस्त भूमि का दूसरे पक्ष को विक्रय करना चाहिए था तो वह अपने अंश का ही विक्रय कर सकते थे और तद्नसार बटवारा कार्यवाही कराना चाहिए थी । जिलाध्यक्ष ने सम्पूर्ण प्रकरण की विवेचना करने के उपरांत यह पाया है कि पीठासीन अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्घोषित निर्णय के प्रकाश में आदेश पारित किया है और इस कारण उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण निरस्त किया है । जिलाध्यक्ष का आदेश सम्पूर्ण प्रकरण की विवेचना करने के उपरांत विधिसम्मत निष्कर्ष के आधार पर पारित किया गया है जिसमें कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर म०प्र०

प्रकरणक्रमांक /2012-2013 नि०माल R - 268-I/13

श्री सुन्दर सिंह भदौरिया, अभि० द्वारा आज दि. 21-1-13 को प्रस्तुत

[signature] 21-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[signature]

रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री साहबदत्त शर्मा आयु 32 साल पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम गढा तहसील अटेर, जिला भिण्ड म०प्र० ---- प्रार्थी

वनाम

1:-शैलेन्द्रकुमार पुत्र रामलखन उम्र लगभग 60 साल निवासी ग्राम बहादुरपुर जिला इटावा उ०प्र० हाल निवास थाना फूफ के सामने मिडिल स्कूल के पीछे फूफ, जिला भिण्ड म०प्र०- असल प्रतिप्रार्थी

2:-साहबदत्त उर्फ मुन्नीलाल दत्तक पुत्र स्व० रघुराम शर्मा निवासी ग्राम गढा परगना अटेर, जिला भिण्ड म०प्र०

3:-किशनविहारी पुत्र साहबदत्त शर्मा

4:-सुशील शर्मा पुत्र साहबदत्त शर्मा

5:-किशोरीदेवी वेवा वृजविहारी

6:-वृजकिशोर पुत्र वृजविहारी नावा०

7:-हरिओमपुत्र गोविन्द शर्मा नावा०

8- गोविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री साहबदत्त उर्फ मुन्नीलाल

तरपरस्त वावा किशनविहारी

ग्राम गढा टप्पा सुरपुरा तह. अटेर थाना फूप जिला भिण्ड

क्र. 8- आवेदक

गोपाल तिवारी

निवासीग्राम ...